1-

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान,उदयपुर

क्रमांकः–प.24( )आब/बकाया/ए.यो./2021–22/19 दिनांकः– 13.07.2021

आबकारी एमनेस्टी योजना वर्ष 2021(संशोधित)

आबकारी विभाग के राजस्व बकाया के पुराने प्रकरणों के शीघ्र समाधान करने की दृष्टि से राज्य सरकार से प्राप्त सक्षम स्वीकृति के कम में **आबकारी एमनेस्टी योजना वर्ष 2021** की घोषणा की गयी थी। योजना दिनांक 01.04.2021 से 30.06.2021 तक लागू थी। राज्य सरकार के पत्र कमांक प.4(15)वित्त/आब/2014 दिनांक 07.07.2021 से प्राप्त स्वीकृति के कम में इस योजना की अवधि दिनांक 30.09.2021 तक बढ़ायी जाती है एवं मूल एमनेस्टी योजना वर्ष 2021 के अन्तर्गत देय छूट के प्रतिशत को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

क.स.	श्रेणी	मूल एमनेस्टी योजना में छूट का प्रतिशत	बढ़ायी गयी अवधि में संशोधित छूट का प्रतिशत
1	दिंनाक 31.03.2009 तक बैक आउट श्रेणी के प्रकरण	95 %	95 %
2	दिंनाक 01.04.2009 से 31.03.2014 तक के बैक आउट श्रेणी के प्रकरण	25 %	50 %
3	दिंनाक 31.03.1989 तक के बैक आउट के अतिरिक्त श्रेणी के प्रकरण	90 %	90 %
4	दिंनाक 01.04.1989 से 31.03.2009 तक के बैक आउट के अतिरिक्त श्रेणी के प्रकरण	50 %	75 %
5	दिंनाक 01.04.2009 से 31.03.2014 तक के बैक आउट के अतिरिक्त श्रेणी के प्रकरण	20 %	25 %
6	दिंनाक 01.04.2014 से 31.03.2020 तक के समस्त प्रकरण	Nil	Nil

नोट :– संशोधित किए गए छूट प्रतिशत दिनांक 30.06.2021 के पश्चात् प्राप्त प्रकरणों पर ही लागू होगें।

- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बाकीदार/जमानती/वारिसान /रिश्तेदार/अन्य व्यक्ति को संबधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में **दिनांक 31.08.2021** तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- बाकीदार को योजना के अनुसार देय राशि **दिनांक 30.09.2021** तक राजकोष में जमा करानी होगी। राजकोष में राशि जमा होने पर ही शेष मूल बकाया राशि तथा शेष ब्याज राशि माफ किये जाने योग्य होगी।
- योजना की शेष शर्ते **मूल एमनेस्टी योजना वर्ष 2021** की भाँति ही रहेगी।

(डॉ. जोगाराम)
आबकारी आयुक्त,
राजस्थान,उदयपुर

क्रमांक: . प. २५() आब/बकाया/२.पो/2021-22/19 दिनांक 13.07.202

प्रतिलिपिः– 1. महालेखाकार (अंकेक्षण) राजस्थान, जयपुर।

2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. शासन सचिव, वित (राजस्व) विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर / अजमेर/भरतपुर।
6. सिस्टम एनेलिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु।
7. जिला आबकारी अधिकारी (समस्त), राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने क्षेत्र के बकायादारों की बकाया मूल एवं देय ब्याज का सही आंकलन कर सभी बकायादारों को सूचित करे।
8. रक्षित पत्रावली।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान,उदयपुर

Scanned by CamScanner